

11/11

[CR-2018/00750]

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 746  
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 03-07-18

निर्णय ::

प्रार्थी श्री मावजी पि. जागजी  
 जति डी/क वयलू उम्र ... नि० ... तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक  
 अदाजत को... दिनांक 03-07-18 इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा साभोरा का 87 पंचायत समिति  
को... में स्थित खाता संख्या 87 पर आराजी नं० 583/2 कुल 2 बीघा  
4 बिस्वा किता 1 योग रकबा 2-04 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि  
 काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद  
 होता है। करते है और लड़ाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर  
 पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के  
 साथ अप्रार्थी शंकर पि. जागजी नि० साभोरा का 87 ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है।  
 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम साभोरा का 87 के खसरा नं० 585 रकबा ...  
 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 11... की जमाबंदी सम्वत् 2077-74  
 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी  
 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का  
 कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा ... में स्थित  
 खाता संख्या 87 पर आराजी नं० 583/2 रकबा 2-04 कुल किता ...  
1 कुल रकबा 2-04 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा साभोरा का 87 में स्थित खाता संख्या 87 पर आराजी नं० 583/2  
 रकबा 2-04 कुल किता 1 कुल रकबा 2-04 विवादग्रस्त  
 आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर नू०अ० निरीक्षक ...  
 के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी  
 की जाये। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 900/- प्रार्थी स्वयं  
 राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जाये। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

02  
 उपखण्ड अधिकारी  
 डूंगरपुर